



हिंदी
कुमारभारती
दसवीं कक्षा



भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दि. २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।



मेरा नाम _____ है।

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्माता व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे



75PPGN

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R.Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R.Code में अध्ययन-अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१८ © महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११००४

तीसरा पुनर्मुद्रण : २०२१

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

हिंदी भाषा समिति

डॉ. हेमचंद्र वैद्य - अध्यक्ष
डॉ. छाया पाटील - सदस्य
प्रा. मैनोद्दीन मुल्ला - सदस्य
डॉ. दयानंद तिवारी - सदस्य
श्री रामहित यादव - सदस्य
श्री संतोष धोत्रे - सदस्य
डॉ. सुनिल कुलकर्णी - सदस्य
श्रीमती सीमा कांबळे - सदस्य
डॉ. अलका पोतदार - सदस्य - सचिव

प्रकाशक :

श्री विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ
प्रभादेवी, मुंबई-२५

हिंदी भाषा अभ्यासगट

श्री संजय भारद्वाज
सौ. वृंदा कुलकर्णी
डॉ. वर्षा पुनवटकर
सौ. रंजना पिंगळे
डॉ. प्रमोद शुक्ल
श्रीमती पूर्णिमा पांडेय
डॉ. शुभदा मोघे
श्री धन्यकुमार बिराजदार
श्रीमती माया कोथळीकर
श्रीमती शारदा बियानी
डॉ. रत्ना चौधरी
श्री सुमंत दळवी
श्रीमती रजनी म्हैसाळकर

डॉ. आशा वी. मिश्रा
श्रीमती मीना एस. अग्रवाल
श्रीमती भारती श्रीवास्तव
डॉ. शैला ललवाणी
डॉ. शोभा बेलखोडे
डॉ. बंडोपंत पाटील
श्री रामदास काटे
श्री सुधाकर गावंडे
श्रीमती गीता जोशी
श्रीमती अर्चना भुस्कुटे
डॉ. रीता सिंह
सौ. शशिकला सरगर
श्री एन. आर. जेवे
श्रीमती निशा बाहेकर

निमंत्रित सदस्य

श्री ता. का. सूर्यवंशी श्रीमती मंजुला त्रिपाठी, मिश्रा

संयोजन :

डॉ. अलका पोतदार, विशेषाधिकारी हिंदी भाषा, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे
सौ. संध्या विनय उपासनी, विषय सहायक हिंदी भाषा, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

मुखपृष्ठ : श्री विवेकानंद पाटील

चित्रांकन : श्री राजेश लवळेकर

निर्मिती :

श्री सच्चितानंद आफळे, मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री राजेंद्र चिंदरकर, निर्मिती अधिकारी
श्री राजेंद्र पांडलोसकर, सहायक निर्मिती अधिकारी

अक्षरांकन : भाषा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे
कागज : ७० जीएसएम, क्रीमवोव
मुद्रणादेश : N/PB/2021-22/0.12
मुद्रक : M/s. Sohail Enterprises,
Thane

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

राष्ट्रगीत

जनगणमन - अधिनायक जय हे
भारत - भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत - भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-
बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की
समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं
पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा/करूंगी कि उन
परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता
मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों
का सम्मान करूंगा/करूंगी और हर एक से
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा/करूंगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने
देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा
रखूंगा/रखूंगी । उनकी भलाई और समृद्धि में
ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियो,

आपकी उत्सुकता एवं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए नवनिर्मित कुमारभारती दसवीं कक्षा की पुस्तक को रंगीन, आकर्षक एवं वैविध्यपूर्ण स्वरूप प्रदान किया गया है। रंग-बिरंगी, मनमोहक, ज्ञानवर्धक एवं कृतिप्रधान यह पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

हमें ज्ञात है कि आपको गीत सुनना-पढ़ना, गुनगुनाना प्रिय है। कथा-कहानियों की दुनिया में विचरण करना मनोरंजक लगता है। आपकी इन मनोनुकूल भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक में कविता, गीत, गजल, नई कविता, पद, लोकगीत, खंडकाव्य-महाकाव्य अंश, बहुरंगी कहानियाँ, निबंध, हास्य-व्यंग्य, संस्मरण, साक्षात्कार, एकांकी, आलेख, नाट्यांश, उपन्यास अंश आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है। यही नहीं, हिंदी की अत्याधुनिक विधा 'हाइकु' को भी प्रथमतः इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। ये सभी विधाएँ केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं अपितु ज्ञानार्जन, भाषाई कौशलों-क्षमताओं के विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने तथा सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक रूप से दी गई हैं। इन रचनाओं का चयन आयु, रुचि, मनोविज्ञान, सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर किया गया है।

बदलती दुनिया की नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अभ्यास को सहज एवं सरल बनाने के लिए इन्हें संजाल, प्रवाह तालिका, विश्लेषण, वर्गीकरण विविध कृतियों, उपयोजित लेखन, भाषाबिंदु आदि के माध्यम से पाठ्यपुस्तक में समाहित किया गया है। आपकी सृजनात्मक शक्ति और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षमताधारित श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय कृतियों द्वारा अध्ययन-अध्यापन को अधिक व्यापक और रोचक बनाया गया है। आपकी हिंदी भाषा और ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए 'ऐप' एवं 'क्यू.आर.कोड,' के माध्यम से अतिरिक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन अनुभव हेतु इनका निश्चित ही उपयोग हो सकेगा।

मार्गदर्शक के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभिभावकों, शिक्षकों का सहयोग तथा मार्गदर्शन आपके विद्यार्जन को सहज एवं सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। पूर्ण विश्वास है कि आप सब पाठ्यपुस्तक का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए हिंदी विषय के प्रति विशेष अभिरुचि, आत्मीयता एवं उत्साह प्रदर्शित करेंगे।

हार्दिक शुभकामनाएँ !

पुणे

दिनांक : १८ मार्च २०१८, गुढीपाडवा

भारतीय सौर दिनांक : २७ फाल्गुन १९३९

(डॉ. सुनिल मगर)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-०४

भाषा विषयक क्षमता

यह अपेक्षा है कि दसवीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा संबंधी निम्नलिखित क्षमताएँ विकसित हों :

अ.क्र.	क्षमता	क्षमता विस्तार
१.	श्रवण	१. गद्य-पद्य को रसानुभूति एवं सहसंबंध स्थापित करते हुए सुनना-सुनाना । २. वैश्विक स्तर की जानकारी सुनकर विश्लेषणात्मक पद्धति से सुनाना । ३. प्रसार माध्यमों से प्राप्त जानकारी के केंद्रीय भाव को सुनकर पक्षपातरहित सुनाना ।
२.	भाषण-संभाषण	१. राज्य एवं राष्ट्र के कार्यक्रमों पर पक्ष-विपक्ष में अपना मत व्यक्त करना । २. स्थानीयकरण से वैश्वीकरण में ताल-मेल बिठाते हुए परिचर्चा करना । ३. पाठ्य-पाठ्येतर विधाओं के भावसौंदर्य को समझते हुए रसग्रहण करना ।
३.	वाचन	१. पाठ्य/पाठ्येतर सामग्री के भाषाई सौंदर्य का आकलन करते हुए आदर्श वाचन करना । २. विविध क्षेत्र के व्यक्तियों का परिचय तथा जीवनियों का मुखर एवं मौन वाचन करना । ३. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विविध प्रकारों से उपलब्ध सामग्री के अंतर का आकलन करते हुए वाचन करना ।
४.	लेखन	१. हिंदी के व्यावहारिक उपयोग का आकलन करते हुए कार्यालयीन कामकाज आदि का लेखन, संगणक की सहायता से प्रपत्र भरना । २. कहानी को आत्मकथा और आत्मकथा को कहानी के रूप में रूपांतरित करना । ३. विज्ञापन और किसी भी विधा का सूचनानुसार स्वतंत्र एवं शुद्ध लेखन करना ।
५.	भाषा अध्ययन (व्याकरण)	※ छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भाषा अध्ययन के घटक नीचे दिए गए हैं : प्रत्येक कक्षा के पाठ्यांशों पर आधारित चुने हुए घटकों को प्रसंगानुसार श्रेणीबद्ध रूप में समाविष्ट किया है । घटकों का चयन करते समय विद्यार्थियों की आयुसीमा, रुचि और पुनरावर्तन का अभ्यास आदि मुद्दों को ध्यान में रखा गया है । प्रत्येक कक्षा के लिए समाविष्ट किए गए घटकों की सूची संबंधित कक्षा की पाठ्यपुस्तक में समाविष्ट की गई है । अपेक्षा है कि विद्यार्थियों में दसवीं कक्षा के अंत तक सभी घटकों की सर्वसामान्य समझ निर्माण होगी । पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, शब्दयुग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी-मराठी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शुद्धीकरण, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, क्रिया के प्रकार, अव्यय के प्रकार, काल के प्रकार, कारक विभक्ति, वाक्य के प्रकार और उद्देश्य-विधेय, वाक्य परिवर्तन, विरामचिह्न, मुहावरे, कहावतें, वर्ण विच्छेद, वर्ण मेल, संधि के प्रकार, समास के प्रकार, अलंकार के प्रकार, छंद के प्रकार, शुद्ध उच्चारण और प्रयोग करना ।
६.	अध्ययन कौशल	१. सुवचन, उद्धरण, सुभाषित, मुहावरे, कहावतें आदि का संकलन करते हुए प्रयोग करना । २. विभिन्न स्रोतों से जानकारी का संकलन, टिप्पणी तैयार करना । ३. आकृति, आलेख, चित्र का स्पष्टीकरण करने हेतु मुद्दों का लेखन, प्रश्न निर्मिति करना ।

शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक बातें

अध्ययन अनुभव देने से पहले क्षमता विधान, प्रस्तावना, परिशिष्ट, आवश्यक रचनाएँ एवं समग्र रूप से पाठ्यपुस्तक का अध्ययन आवश्यक है। किसी भी गद्य-पद्य के प्रारंभ के साथ ही कवि/लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियों और गद्य/पद्य के संदर्भ में विद्यार्थियों से चर्चा करना आवश्यक है। प्रत्येक पाठ की प्रस्तुति के उपरांत उसके आशय/भाव के दृढीकरण हेतु प्रत्येक पाठ में 'शब्द संसार', विविध 'उपक्रम', 'उपयोजित लेखन' 'अभिव्यक्ति', 'भाषा बिंदु', 'श्रवणीय', 'संभाषणीय', 'पठनीय', 'लेखनीय' आदि कृतियाँ भी दी गई हैं। इनका सतत अभ्यास कराएँ।

सूचनानुसार कृतियों में संजाल, कृति पूर्ण करना, भाव/अर्थ/केंद्रीय भाव लेखन, पद्य विश्लेषण, कारण लेखन, प्रवाह तालिका, उचित घटनाक्रम लगाना, सूची तैयार करना, उपसर्ग/प्रत्यय, समोच्चारित-भिन्नार्थी शब्दों के अर्थ लिखना आदि विविध कृतियाँ दी गई हैं। ये सभी कृतियाँ संबंधित पाठ पर ही आधारित हैं। इनका सतत अभ्यास करवाने का उत्तरदायित्व आपके ही सबल कंधों पर है।

पाठों में 'श्रवणीय', 'संभाषणीय', 'पठनीय', 'लेखनीय' के अंतर्गत दी गई अध्ययन सामग्री भी क्षमता विधान पर ही आधारित है। ये सभी कृतियाँ पाठ के आशय को आधार बनाकर विद्यार्थियों को पाठ और पाठ्य पुस्तक से बाहर निकालकर दुनिया में भी विचरण करने का अवसर प्रदान करती हैं। अतः शिक्षक/अभिभावक अपने निरीक्षण में इन कृतियों का अभ्यास अवश्य कराएँ। परीक्षा में इनपर प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों के कल्पना पल्लवन, मौलिक सृजन एवं स्वयंस्फूर्त लेखन हेतु 'उपयोजित लेखन' दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रसंग/विषय दिए गए हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों को रचनात्मक विकास का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

विद्यार्थियों की भावभूमि को ध्यान में रखकर पुस्तक में मध्यकालीन कवियों के पद, दोहे, सवैया, साथ ही कविता, गीत, गजल, बहुविध कहानियाँ, हास्य-व्यंग्य, निबंध, संस्मरण, साक्षात्कार, एकांकी आदि साहित्यिक विधाओं का विचारपूर्वक समावेश किया गया है। इतना ही नहीं अत्याधुनिक विधा 'हाइकु' को भी प्रथमतः पुस्तक में स्थान दिया गया है। इनके साथ-साथ व्याकरण एवं रचना विभाग तथा मध्यकालीन काव्य के भावार्थ पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए हैं। जिससे अध्ययन-अध्यापन में सरलता होगी।

पाठों में दिए गए 'भाषा बिंदु' व्याकरण से संबंधित हैं। यहाँ पाठ, पाठ्यपुस्तक एवं बाहर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। व्याकरण पारंपरिक रूप से न पढ़ाकर कृतियों और उदाहरणों द्वारा व्याकरणिक संकल्पना को विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाए। 'पूरक पठन' सामग्री कहीं न कहीं पाठों को ही पोषित करती है। यह विद्यार्थियों की रुचि एवं उनमें पठन संस्कृति को बढ़ावा देती है। अतः इसका अभ्यास अवश्य कराएँ। उपरोक्त सभी अभ्यास करवाते समय 'परिशिष्ट' में दिए गए सभी विषयों को ध्यान में रखना अपेक्षित है। पाठ के अंत में दिए गए संदर्भों से विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन हेतु प्रेरित करें।

आवश्यकतानुसार पाठ्येतर कृतियों, भाषाई खेलों, संदर्भों-प्रसंगों का भी समावेश अपेक्षित है। आप सब पाठ्यपुस्तक के माध्यम से नैतिक मूल्यों, जीवन कौशलों, केंद्रीय तत्त्वों, संवैधानिक मूल्यों के विकास के अवसर विद्यार्थियों को अवश्य प्रदान करें। पाठ्यपुस्तक में अंतर्निहित प्रत्येक संदर्भ का सतत मूल्यमापन अपेक्षित है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शिक्षक इस पुस्तक का सहर्ष स्वागत करेंगे।

* अनुक्रमणिका *

पहली इकाई

क्र.	पाठ का नाम	विधा	रचनाकार	पृष्ठ
१.	उड़ चल, हारिल	कविता	सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'	१-२
२.	डिनर (पूरक पठन)	वर्णनात्मक कहानी	गजेंद्र रावत	३-१०
३.	नाम चर्चा	हास्य-व्यंग्य निबंध	नरेंद्र कोहली	११-१८
४.	मेरी स्मृति	हाइकु	डॉ. रमाकांत श्रीवास्तव	१९-२१
५.	भाषा का प्रश्न (पूरक पठन)	भाषण	महादेवी वर्मा	२२-२६
६.	दो संस्मरण	संस्मरण	संजय सिन्हा	२७-३३
७.	हिम	खंडकाव्य अंश	नरेश मेहता	३४-३६
८.	प्रण	नाटक अंश	मोहन राकेश	३७-४२
९.	ब्रजवासी	पद	भक्त सूरदास	४३-४४
१०.	गुरुदेव का घर	पत्र	निर्मल वर्मा	४५-४८
११.	दो लघुकथाएँ	लघुकथा	त्रिलोक सिंह ठकुरेला	४९-५२
१२.	गजलें (पूरक पठन)	गजल	अदम गोंडवी	५३-५६

दूसरी इकाई

क्र.	पाठ का नाम	विधा	रचनाकार	पृष्ठ
१.	संध्या सुंदरी	नई कविता	सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'	५७-५८
२.	चीफ की दावत	संवादात्मक कहानी	भीष्म सहानी	५९-६८
३.	जानता हूँ मैं	आलेख	महात्मा गांधी	६९-७४
४.	बटोहिया (पूरक पठन)	लोक भाषा गीत	रघुवीर नारायण	७५-७७
५.	अथातो घुम्मक्कड़-जिज्ञासा	वैचारिक निबंध	राहुल सांकृत्यायन	७८-८३
६.	मानस का हंस	उपन्यास अंश	अमृतलाल नागर	८४-८९
७.	अकथ कथ्यौ न जाइ	पद	संत नामदेव	९०-९१
८.	बातचीत (पूरक पठन)	साक्षात्कार	दुर्गाप्रसाद नौटियाल	९२-९९
९.	चिंता	महाकाव्य अंश	जयशंकर प्रसाद	१००-१०२
१०.	टॉल्स्टॉय के घर के दर्शन	यात्रा वर्णन	डॉ. रामकुमार वर्मा	१०३-१०८
११.	दुख (पूरक पठन)	मनोवैज्ञानिक कहानी	यशपाल	१०९-११६
१२.	चलो हम दीप जलाएँ	गीत	सुरेंद्रनाथ तिवारी	११७-११९
	व्याकरण तथा रचना विभाग एवं भावार्थ			१२०-१२८